



सत्यमेव जयते

राजस्थान शासन

आय-व्ययक एक दृष्टि में Budget At A Glance

2011-12

आय-व्ययक एक दृष्टि में 2011-12

BUDGET AT A GLANCE

(₹ crore/ करोड़)

मद	आय - व्ययक		संशोधित	आय - व्ययक
	लेखे	अनुमान	अनुमान	अनुमान
Items	A/Cs	B.E.	R.E.	B.E.
	2009-10	2010-11	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियां	35385.01	42463.49	45988.97	52287.36
Revenue Receipts				
(अ) राज्य के कर राजस्व State's Tax Revenue	16414.27	19020.86	19415.70	21349.45
(ब) अ-कर राजस्व Non-Tax Revenue	4558.22	4975.92	5797.83	6438.13
(स) केन्द्रीय करों के अंश Share in central Taxes	9258.13	12252.21	12855.62	15443.61
(द) सहायतार्थ अनुदान Grants -in-aid	5154.39	6214.50	7919.82	9056.17
2. पूंजीगत प्राप्तियां	13158.39	11932.56	10704.21	11810.61
Capital Receipts				
(अ) ऋणों की वसूली Recovery of Loans	112.00	111.11	221.59	167.79
(ब) अन्य प्राप्तियां Misc.Receipts	8.94	0.00	9.30	5.85
(स) उधार एवं अन्य देनदारियां Borrowings & other Liabilities	13037.45	11821.45	10473.32	11636.97
(इसमें से पुनर्भुगतान) (of which repayments)	(2945.08)	(3312.10)	(3317.42)	(3474.36)
(द) आकस्मिकता निधि Contingency Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 शुद्ध उधार Net Borrowing	10092.37	8509.35	7155.90	8162.61
3. कुल प्राप्तियां (1+2) Total Receipts	48543.40	54396.05	56693.18	64097.97
4. आयोजना भिन्न व्यय Non-plan Expenditure	36181.09	39639.18	41025.64	44712.61
(अ) राजस्व खाते से (ब्याज की अदायगी) On revenue account (of which Interest Payment)	33845.30	35809.91	37659.09	41223.79
(ब) पूंजीगत खाते से On capital Account	2335.79	3829.27	3366.55	3488.82

आय-व्ययक एक दृष्टि में 2011-12

BUDGET AT A GLANCE

(₹ crore/ करोड़)


मद	आय -व्ययक		संशोधित	आय -व्ययक
	लेखे	अनुमान	अनुमान	अनुमान
Items	A/Cs	B.E.	R.E.	B.E.
1	2009-10	2010-11	2010-11	2011-12
	2	3	4	5
5. आयोजना व्यय	10732.10	12308.02	13649.27	16587.10
Plan Expenditure				
(अ) राजस्व खाते से	5027.69	5766.50	7194.45	8406.68
On Revenue Account				
(ब) पूंजीगत खाते से	5704.41	6541.52	6454.82	8180.42
On Capital Account				
6. केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय	1836.63	2400.60	2415.38	2699.11
C.S.S.Expenditure				
(अ) राजस्व खाते से	1259.20	1985.31	2024.38	2304.27
On Revenue Account				
(ब) पूंजीगत खाते से	577.43	415.29	391.00	394.84
On Capital Account				
7. कुल व्यय (4+5+6)	48749.82	54347.80	57090.29	63998.82
Total Expenditure				
(अ) राजस्व व्यय	40132.19	43561.72	46877.92	51934.74
Revenue Expenditure				
(ब) पूंजीगत व्यय	8617.63	10786.08	10212.37	12064.08
Capital Expenditure				
(स) आकस्मिकता निधि का विनियोग	0.00	0.00	0.00	0.00
Appropriation to Contingency Fund				
8. राजस्व घाटा / आधिक्य (1-7अ)	-4747.18	-1098.23	-888.95	352.62
Revenue Deficit/Surplus				
(जिसमें से गैर आयोजना				
राजस्व घाटा / आधिक्य)	(1910.64)	(1789.22)	(2720.13)	(5370.41)
(of which Non-plan				
Revenue Deficit/Surplus)				
9. बजट घाटा /आधिक्य (3-7)	-206.42	48.25	-397.11	99.15
Budgetary Deficit/Surplus				
10. राजकोषीय घाटा	-10298.79	-8461.10	-7553.01	-8063.46
Fiscal Deficit				
11. प्रारम्भिक घाटा	-3529.66	-1034.08	-147.26	-50.98
Primary Deficit				

आय व्ययक एक दृष्टि में


BUDGET AT A GLANCE

₹ करोड़
₹ CRORE


प्राप्तियाँ RECEIPTS



व्यय EXPENDITURE




घाटा/आधिक्य DEFICIT / SURPLUS




रुपया आता है

RUPEE COMES FROM



रुपया जाता है

RUPEE GOES TO



प्राप्तियां
RECEIPTS

(₹ crore/ करोड़)				
मद	आय –व्ययक	संशोधित	आय –व्ययक	
लेखे	अनुमान	अनुमान	अनुमान	
Items	A/Cs	B.E.	R.E.	B.E.
2009-10	2010-11	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5
1. राज्य के कर राजस्व	16414.27	19020.86	19415.70	21349.45
State's Tax Revenue				
(i) भू – राजस्व	147.66	185.06	185.06	196.06
Land Revenue				
(ii) मुद्रांक एवं पंजीयन	1362.94	1650.00	1750.00	1900.00
Stamps & Registration				
(iii) राज्य आबकारी	2300.48	2450.00	2460.00	2623.00
State Excise				
(iv) बिक्री कर	10163.53	11730.00	12300.00	13490.00
Sales Tax				
(v) वाहनों पर कर	1372.87	1450.00	1500.00	1650.00
Tax on Vehicle				
(vi) बिजली शुल्क	699.99	778.80	770.64	846.64
Electricity Duty				
(vii) अन्य कर एवं शुल्क	366.80	777.00	450.00	643.75
Other Taxes & Duties				
2. केन्द्रीय करों का अंश	9258.13	12252.21	12855.62	15443.61
Share in Central Taxes				
(i) आयकर	2122.38	2271.76	2655.35	3068.93
Income Tax				
(ii) निगम कर	3810.09	5108.99	5024.86	6239.54
Corporation Tax				
(iii) संघ उत्पादन शुल्क	1043.73	1612.52	1635.33	1994.19
Union Excise Duty				
(iv) सीमा शुल्क	1295.73	1979.84	2247.98	2614.68
Custom Duty				
(v) सेवा कर	977.59	1267.95	1281.81	1514.53
Service Tax				
(vi) अन्य कर	8.61	11.15	10.29	11.74
Other Taxes				

प्राप्तियां

RECEIPTS

(₹ crore/ करोड़)

मद	आय –व्ययक	संशोधित	आय –व्ययक	
लेखे	अनुमान	अनुमान	अनुमान	
Items	A/Cs	B.E.	R.E.	B.E.
	2009-10	2010-11	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
3. कर भिन्न राजस्व	4558.22	4975.92	5797.83	6438.13
Non Tax Revenue				
(i) ब्याज प्राप्तियां Interest Receipts	1185.46	1129.25	1230.68	1229.22
(ii) लाभांश एवं लाभ Dividends & Profits	37.26	38.12	38.33	38.38
(iii) अन्य कर भिन्न राजस्व Other Non-Tax Revenue	3335.50	3808.55	4528.82	5170.53
3.1 सहायतार्थ अनुदान Grants-in-aid	5154.39	6214.50	7919.82	9056.17
3.2 कर भिन्न राजस्व एवं सहायतार्थ अनुदान Non Tax Revenue and Grants in Aid	9712.61	11190.42	13717.65	15494.30
3.3 कुल राजस्व प्राप्ति (1+2+3.2) Total Revenue Receipts	35385.01	42463.49	45988.97	52287.36

प्राप्तियां

RECEIPTS

(₹ crore/ करोड़)


मद	आय –व्ययक लेखे	संशोधित अनुमान	आय –व्ययक अनुमान	
Items	A/Cs 2009-10	B.E. 2010-11	R.E. 2010-11	B.E. 2011-12
1	2	3	4	5
4. पूंजीगत प्राप्तियां Capital Receipts	13158.39	11932.56	10704.21	11810.61
(i) प्रत्यादत्त उधार एवं अग्रिम Recoveries of Loans & Advances	112.00	111.11	221.59	167.79
(ii) आन्तरिक ऋण Internal Debt	8538.54	9745.54	7708.81	9379.36
(iii) केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण Loans from Central Government	257.89	485.50	424.10	819.53
(iv) आकस्मिकता निधि Contingency Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) शुद्ध सार्वजनिक लेखा Net Public Accounts	4241.02	1590.41	2340.41	1438.08
(vi) अन्य पूंजीगत प्राप्तियां Other Capital Receipts	8.94	0.00	9.30	5.85
5. कुल प्राप्तियां (3.3+4) Total Receipts	48543.40	54396.05	56693.18	64097.97

प्राप्तियाँ

RECEIPTS

- राज्य कर राजस्व
STATE'S TAX REVENUE
- केन्द्रीय करों का अंश
SHARE IN CENTRAL TAXES
- कर-भिन्न राजस्व
NON-TAX REVENUE
- सहायतार्थ अनुदान
GRANTS-IN-AID
- पूँजीगत प्राप्तियाँ
CAPITAL RECEIPTS

₹ करोड़
₹ CRORE
70000



व्यय
EXPENDITURE

(₹ crore/ करोड़)

मद	आय –व्ययक		संशोधित	आय –व्ययक
	लेखे	अनुमान	अनुमान	अनुमान
Items	A/Cs	B.E.	R.E.	B.E.
1	2009-10	2010-11	2010-11	2011-12
	2	3	4	5
I राजस्व व्यय				
REVENUE EXPENDITURE				
(क) आयोजना भिन्न व्यय	33845.30	35809.91	37659.09	41223.79
NON-PLAN-EXPENDITURE				
1. सामान्य सेवाएं General Services	15545.74	16537.50	17245.29	18574.17
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	13487.41	14623.98	14731.59	15983.20
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	4793.29	4636.28	5668.39	6666.27
4. सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान Grants-in-aid & Contribution	18.86	12.15	13.82	0.15
(ख) आयोजना व्यय	5027.69	5766.50	7194.45	8406.68
PLAN EXPENDITURE				
1. सामान्य सेवाएं General Services	85.31	86.71	165.79	219.51
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	2184.23	2649.84	3103.61	3447.87
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	2758.15	3029.95	3925.05	4475.69
4. सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान Grants-in-aid & Contribution				263.61
(ग) केन्द्र प्रवर्तित योजना	1259.20	1985.31	2024.38	2304.27
CENTRALLY SPONSORED SCHEME				
1. सामान्य सेवाएं General Services	15.99	65.73	61.24	61.56
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	822.65	1219.61	1133.22	1345.87
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	420.56	699.97	829.92	896.84
(घ) कुल राजस्व व्यय (I) (क+ख+ग)	40132.19	43561.72	46877.92	51934.74
TOTAL REVENUE EXPENDITURE				

व्यय
EXPENDITURE

(₹ crore/ करोड़)

मद	आय – व्ययक		संशोधित	आय – व्ययक
	लेखे	अनुमान	अनुमान	अनुमान
Items	A/Cs	B.E.	R.E.	B.E.
1	2009-10	2010-11	2010-11	2011-12
	2	3	4	5
II. पूंजीगत व्यय				
CAPITAL EXPENDITURE				
(क) आयोजना भिन्न व्यय	-644.60	507.02	14.10	14.26
NON-PLAN-EXPENDITURE				
1. सामान्य सेवाएं	-686.50	492.40	0.08	0.25
General Services				
2. सामाजिक सेवाएं	41.90	14.61	14.00	14.00
Social Services				
आर्थिक सेवाएं	0.00	0.01	0.02	0.01
Economic Services				
(ख) आयोजना व्यय	5275.61	6533.66	6447.99	8172.88
PLAN EXPENDITURE				
1. सामान्य सेवाएं	102.79	129.42	138.60	195.34
General Services				
2. सामाजिक सेवाएं	2095.67	2370.32	2555.61	2934.09
Social Services				
3. आर्थिक सेवाएं	3077.15	4033.92	3753.78	5043.45
Economic Services				
(ग) केन्द्र प्रवर्तित योजना	543.72	392.32	357.13	363.00
CENTRALLY SPONSORED SCHEME				
1. सामान्य सेवाएं	6.46	21.01	15.00	9.47
General Services				
2. सामाजिक सेवाएं	368.16	59.57	109.67	117.12
Social Services				
3. आर्थिक सेवाएं	169.10	311.74	232.46	236.41
Economic Services				
(घ) कुल पूंजीगत व्यय(II) (क+ख+ग)	5174.73	7433.00	6819.22	8550.14
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE(II)				

व्यय


EXPENDITURE

(₹ crore/ करोड़)

मद	आय –व्ययक	संशोधित	आय –व्ययक	
	लेखे	अनुमान	अनुमान	
Items	A/Cs	B.E.	R.E.	
	2009-10	2010-11	2010-11	
1	2	3	4	
			5	
पूंजीगत व्यय				
CAPITAL EXPENDITURE				
III. लोक ऋण (आयोजना भिन्न)	2945.08	3312.10	3317.42	3474.36
PUBLIC DEBT (NON-PLAN)				
IV. ऋण एवं अग्रिम	497.82	40.98	75.73	39.58
LOAN AND ADVANCES				
1. आयोजना भिन्न	35.31	10.15	35.03	0.20
Non-Plan				
2. आयोजना	428.80	7.86	6.83	7.54
Plan				
3. केन्द्र प्रवर्तित योजना	33.71	22.97	33.87	31.84
C.S.S.				
V. आकस्मिकता निधि का विनियोग	0.00	0.00	0.00	0.00
Appropriation to Contingency Fund				
वृहत पूंजीगत व्यय	8617.63	10786.08	10212.37	12064.08
GRAND TOTAL CAPITAL EXPENDITURE				

व्यय

EXPENDITURE



मुख्य विशेषताएं

वार्षिक योजना

2011-12

वार्षिक योजना 2011-12 के मुख्य बिन्दु

वार्षिक योजना का आकार:

राज्य विधानसभा में प्रस्तुत आय-व्ययक अनुमान में वार्षिक योजना 2011-12 के लिए ₹ 28461.30 करोड़ प्रस्तावित हैं। इसमें सकल बजटीय समर्थन के रूप में ₹ 16587.10 करोड़ तथा आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में ₹ 11874.20 करोड़ शामिल है। बजटीय प्रावधानों का मुख्य शीर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

विकास का शीर्ष/सेक्टर	(राशि ₹ करोड़ में)	
	बजटेड परिव्यय	कुल से प्रतिशत
1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	1092.11	3.84
2. ग्रामीण विकास	2820.48	9.91
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	103.56	0.36
4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	970.88	3.41
5. विद्युत	12067.00	42.40
6. उद्योग एवं खनिज	178.50	0.63
7. यातायात	1344.33	4.72
8. वैज्ञानिक सेवाएं	30.52	0.11
9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	8437.88	29.65
10. आर्थिक सेवाएं	1147.77	4.03
11. सामान्य सेवाएं	268.27	0.94
योग	28461.30	100.00

क्षेत्रवार मुख्य-मुख्य विशेषताएं:

1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं:

- ₹ 78.90 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के शामिल
 - ◆ कृषि विपणन बोर्ड के ₹ 75.00 करोड़ ।
 - ◆ राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के ₹ 3.90 करोड़ ।
- कृषि विभाग के लिए ₹ 707.92 करोड़ का प्रावधान जिसमें मौसम आधारित फसल बीमा योजना की राशि शामिल ।

- तिलहन, दालें, ऑयल पॉम एवं मक्का (आईसोपॉम) की एकीकृत योजना हेतु राज्यांश के रूप में ₹ 18.00 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 515.87 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु ₹ 18.00 करोड़ एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु ₹ 38.00 करोड़ का राज्यांश के रूप में प्रावधान।
- सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई स्थापित के लिए अतिरिक्त सहायता हेतु ₹ 29.39 करोड़ का प्रावधान।
- गोवर्धन ड्रेन से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल आपूर्ति हेतु ₹ 36.22 करोड़ का प्रावधान।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ खाद्यान्न अन्तर्गत क्षेत्रफल – 138.70 लाख हैक्टेयर
 - ◆ खाद्य फसलों का उत्पादन – 196.50 लाख टन
 - ◆ तिलहन अन्तर्गत क्षेत्रफल – 51.90 लाख हैक्टेयर
 - ◆ तिलहन का उत्पादन – 62.44 लाख टन
 - ◆ गन्ना अन्तर्गत क्षेत्रफल – 0.09 लाख हैक्टेयर
 - ◆ गन्ना उत्पादन – 6.40 लाख टन
 - ◆ कपास अन्तर्गत क्षेत्रफल – 3.84 लाख हैक्टेयर
 - ◆ कपास उत्पादन – 8.60 लाख गांठें
 - ◆ खाद का उपभोग – 13.22 लाख टन
 - ◆ फल पौधारोपण – 267 हैक्टेयर
 - ◆ वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना – 567 नं.
 - ◆ कृत्रिम गर्भाधान – 25 लाख
 - ◆ बंध्याकरण – 12 लाख
 - ◆ मत्स्य बीज उत्पादन – 400 मिलियन संख्या
 - ◆ मत्स्य उत्पादन – 30000 मैट्रिक टन
 - ◆ सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्प, मध्यम एवं दीर्घ कालीन ऋणों का वितरण – 6750 करोड़ रुपये (स्तर)
 - ◆ भण्डारण क्षमता – 25200 मैट्रिक टन

2. ग्रामीण विकास:

- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु राज्यांश के रूप में ₹ 765.31 करोड़ का प्रावधान जिसमें निम्न शामिल है:—
 - ◆ एस. जी. एस. वाई. (ग्रामीण हाट को शामिल करते हुए) के लिए ₹ 22.60 करोड़।
 - ◆ मरू विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 33.00 करोड़।
 - ◆ सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के लिए ₹ 4.00 करोड़।
 - ◆ बंजर भूमि विकास के लिए ₹ 0.50 करोड़।
 - ◆ मिड-डे-मील के लिए ₹ 159.00 करोड़।
 - ◆ इन्दिरा आवास योजना के लिए ₹ 75.00 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए ₹ 350 करोड़।
 - ◆ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन के लिए ₹ 8.88 करोड़।
 - ◆ राजस्व प्रशासन के सशक्तीकरण हेतु ₹ 10.98 करोड़।
 - ◆ सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए ₹ 16.50 करोड़।
 - ◆ एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के लिये ₹ 35.00 करोड़।
 - ◆ सेटलमेंट के लिए ₹ 49.85 करोड़ आदि।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु ₹ 200.00 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान हेतु ₹ 450 करोड़ का प्रावधान।
- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि हेतु ₹ 275.40 करोड़ का प्रावधान।
- बाह्य सहायतिथ "पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने हेतु परियोजना" के लिए ₹ 24.00 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना के लिए ₹ 20.00 करोड़ का प्रावधान।
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्बन्धन कोष के लिये ₹ 1041.15 करोड़ का प्रावधान।

➤ महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- ◆ इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत 69698 नये आवासों का निर्माण
- ◆ मिड-डे-मील – 74.94 लाख छात्र/छात्राएं
- ◆ स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत 73679 स्वरोजगारी को लाभान्वित करना ।
- ◆ 60 हजार लोगों को भूखण्डों का आवंटन ।

3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम:

- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 91.31 करोड़ का प्रावधान ।
- मगरा विकास हेतु ₹ 5.00 करोड़ एवं मेवात क्षेत्र विकास के लिए ₹ 7.25 करोड़ का प्रावधान ।

4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:

- बाह्य सहायतिथ परियोजनाओं हेतु ₹ 200.00 करोड़ का प्रावधान ।
 - ◆ राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए ₹ 100.00 करोड़ ।
 - ◆ लघु सिंचाई सुधार योजना के लिए ₹ 100.00 करोड़ ।
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु ₹ 277.00 करोड़ का प्रावधान ।
 - ◆ नर्बदा परियोजना के लिए ₹ 220.00 करोड़ ।
 - ◆ गंग नहर के आधुनिकीकरण के लिए ₹ 20.00 करोड़ एवं
 - ◆ मरू/जनजाति क्षेत्रों में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹ 37.00 करोड़ ।
- 40,500 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना ।
 - ◆ 4500 हैक्टेयर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा
 - ◆ 30000 हैक्टेयर में नर्बदा के द्वारा
 - ◆ 3000 हैक्टेयर में गंग केनाल के द्वारा
 - ◆ 3000 हैक्टेयर में लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा

- 62700 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य
 - ◆ 9000 हैक्टेयर चम्बल सिंचित क्षेत्र में ।
 - ◆ 14,700 हैक्टेयर सिद्धमुख-नोहर क्षेत्र में ।
 - ◆ 11,500 हैक्टेयर अमरसिंह उप शाखा क्षेत्र में ।
 - ◆ 14,000 हैक्टेयर बीसलपुर क्षेत्र में ।
 - ◆ 13,500 हैक्टेयर गंग केनाल सीएडी क्षेत्र में ।

5. विद्युत:

- ₹ 9331.00 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के सम्मिलित ।
 - ◆ ₹ 4328.00 करोड़ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ।
 - ◆ ₹ 2255.00 करोड़ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के ।
 - ◆ ₹ 1000.00 करोड़ जयपुर डिस्कॉम के ।
 - ◆ ₹ 1000.00 करोड़ जोधपुर डिस्कॉम के ।
 - ◆ ₹ 748.00 करोड़ अजमेर डिस्कॉम के ।
- एफ.आर.पी. के अन्तर्गत संक्रमण सहायता के रूप में ₹ 400.00 करोड़ का प्रावधान ।
- राज्य सरकार द्वारा ₹ 2334 करोड़ का इक्विटी अंशदान ।
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के लिए ₹ 2.00 करोड़ का प्रावधान ।
- 286 ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 46980 कुओं का ऊर्जीकरण ।
- घरेलू लाइटिंग सिस्टम की स्थापना – 6006

6. उद्योग एवं खनन:

- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के ₹ 125 करोड़ के आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन शामिल ।
- उद्योग विभाग (सिपेट सहित) हेतु ₹ 21.37 करोड़ का प्रावधान ।
- गंगानगर शुगर मिल के लिए ₹ 6.50 करोड़ का प्रावधान ।

- खादी एवं ग्रामोद्योग हेतु ₹ 5.08 करोड़ का प्रावधान ।
- निवेश संवर्धन ब्यूरो हेतु ₹ 3.70 करोड़ का प्रावधान ।
- खान एवं भू-गर्भ विभाग हेतु ₹ 3.67 करोड़ का प्रावधान ।
- ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण हेतु ₹ 1.36 करोड़ का प्रावधान ।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:-
 - ◆ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लाभान्वित व्यक्ति – 1088
 - ◆ उत्पादन स्तर – ऊनी खादी – ₹ 7.00 करोड़
 - ◆ उत्पादन स्तर – सूती खादी – ₹ 13.00 करोड़
 - ◆ उत्पादन स्तर – ग्रामोद्योग – ₹ 80.00 करोड़
 - ◆ रोजगार – खादी उद्योग – 2600 व्यक्ति
 - ◆ रोजगार – ग्रामोद्योग – 10000 व्यक्ति
 - ◆ राज्य वित्त निगम
 - ऋणों की स्वीकृति – ₹ 525 करोड़
 - ऋणों का वितरण – ₹ 400 करोड़
 - ऋणों की वसूली – ₹ 450 करोड़
 - ◆ खनन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण – 6.00 किमी.

7. परिवहन:

- ₹ 369.20 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के शामिल
 - ◆ ₹ 148.20 करोड़ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के ।
 - ◆ ₹ 221.00 करोड़ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के ।
- आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नाबार्ड सहायतिथ सड़क कार्यों के लिए ₹ 380.00 करोड़ का प्रावधान ।
 - ◆ 300 कि.मी. धार्मिक स्थानों में सड़कों का निर्माण एवं 3300 कि.मी. सड़कों का पुनरुद्धार ।
- केन्द्रीय सड़क निधि के तहत ₹ 176.54 करोड़ का अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रावधान ।

- ◆ 354 किमी. राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण एवं 500 किमी. अन्य राज्य राजमार्ग / जिला सड़कें ।
- बाह्य सहायतिथ योजनान्तर्गत ₹ 100.00 करोड़ का प्रावधान ।
 - ◆ 250 किमी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण ।
- राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के उच्चीकरण व सुदृढीकरण के लिए तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ₹ 37.50 करोड़ का प्रावधान ।
- राज्य सड़क विकास निधि अन्तर्गत ₹ 210.00 करोड़ का प्रावधान ।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 1000 नई बसों की खरीद ।

8. वैज्ञानिक सेवाएं:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये ₹ 6.10 करोड़ एवं पर्यावरण विभाग के लिये 24.42 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
 - ◆ इसमें ₹ 12.77 करोड़ राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के लिए राज्यांश के रूप में सम्मिलित
 - ◆ इसमें ₹ 10.00 करोड़ राष्ट्रीय नहरों की संरक्षण योजना के लिए राज्यांश के रूप में सम्मिलित ।

9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं:

शिक्षा

- शिक्षा क्षेत्र के लिये कुल ₹ 1707.72 करोड़ का प्रावधान ।
- प्राथमिक शिक्षा के लिये ₹ 1130.00 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ इसमें ₹ 743.89 करोड़ सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्यांश के रूप में सम्मिलित ।
- माध्यमिक शिक्षा के लिये ₹ 418.87 करोड़ का प्रावधान (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए ₹ 100.00 करोड़ राज्यांश को सम्मिलित करते हुए) ।
- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के लिये ₹ 33.00 करोड़ का प्रावधान ।
- साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के लिये ₹ 35.33 करोड़ का प्रावधान ।

- कला एवं संस्कृति के लिये ₹ 22.17 करोड़ का प्रावधान।
- तकनीकी शिक्षा के लिये ₹ 55.56 करोड़ का प्रावधान।
- खेल एवं युवा कल्याण के लिये ₹ 11.50 करोड़ का प्रावधान।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेक्टर (आयुर्वेद सहित) के लिये ₹ 663.53 करोड़ का प्रावधान।
- बाह्य सहायतिथ राजस्थान हेल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के लिए ₹ 40.00 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के लिए ₹ 146.50 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹ 16.50 करोड़ मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना एवं ₹ 25 करोड़ धन्वन्तरी एम्बूलेन्स सेवा योजना के लिए शामिल है।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹ 224.14 करोड़ का प्रावधान:—
 - ◆ 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना।
 - ◆ 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।
 - ◆ 230 शैय्याओं की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वृद्धि।
- चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹ 203.59 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹ 500 लाख राजस्थान चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हेतु शामिल।
- आयुर्वेद हेतु ₹ 31.03 करोड़ का प्रावधान।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

- जल प्रदाय योजनाओं हेतु ₹ 1420.94 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ शहरी जल प्रदाय योजनाओं के लिए ₹ 591.46 करोड़।
 - ◆ ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए ₹ 828.50 करोड़।
 - ◆ अधीनस्थ अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान के लिए ₹ 0.98 करोड़।
- उक्त प्रावधान में बाह्य सहायतिथ परियोजनाओं के लिए ₹ 309.49 करोड़ का प्रावधान भी शामिल:—
 - ◆ बीसलपुर—जयपुर जल प्रदाय योजना के लिए ₹ 50.00 करोड़।

- ◆ शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर की पुर्नसंरचना के लिए ₹ 150.00 करोड़ ।
 - ◆ आपणी योजना प्रथम-चरण के लिए ₹ 2.49 करोड़ ।
 - ◆ बाड़मेर लिफ्ट नहर परियोजना फेज-1 के लिए ₹ 27.00 करोड़ ।
 - ◆ चम्बल-भीलवाड़ा जल प्रदाय परियोजना के लिए ₹ 30.00 करोड़ ।
 - ◆ नागौर लिफ्ट जल प्रदाय परियोजना फेज-1 के लिए ₹ 50.00 करोड़ ।
- 2190 स्लिप बैक एनसी/पीसी बस्तियों को समाविष्ट करने का लक्ष्य ।

आवास एवं नगरीय विकास

- आवास एवं नगरीय विकास के लिये ₹ 3512.49 करोड़ का प्रावधान
- इसमें ₹ 1970.10 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के शामिल
 - ◆ राजस्थान आवासन मण्डल के ₹ 315.00 करोड़ ।
 - ◆ जयपुर विकास प्राधिकरण के ₹ 344.00 करोड़ ।
 - ◆ अन्य शहरी स्थानीय निकायों के ₹ 1311.10 करोड़ ।
- बाह्य सहायतिथ राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम हेतु ₹ 336.78 करोड़ का प्रावधान ।
- पुलिस आवास के लिए हुडको को किशत का भुगतान करने के लिए ₹ 68.41 करोड़ का प्रावधान ।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के लिए ₹ 351.46 करोड़ का प्रावधान ।
- समग्र आवास एवं कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम हेतु ₹ 134.58 करोड़ का प्रावधान ।
- लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी आधारभूत विकास योजना हेतु ₹ 170.21 करोड़ का प्रावधान ।
- जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के लिए ₹ 200.00 करोड़ का प्रावधान ।
- राजस्थान शहरी विकास निधि में अंशदान के लिए ₹ 45 करोड़ का प्रावधान ।
- राज्य वित्त आयोग के तहत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में ₹ 144 करोड़ का प्रावधान ।

- रेलवे ओवर ब्रिज के लिए ₹ 70.00 करोड़ का प्रावधान।
- शहरी जनसहभागिता योजना के लिए ₹ 10.00 करोड़ का प्रावधान।
- स्वर्ण जयन्ति शहरी रोजगार योजना के लिए राज्यांश के रूप में ₹ 6.00 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ शहरी स्वरोजगार अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के 5500 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
 - ◆ 1.10 लाख मानव दिवसों का सृजन।
- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शहरी क्षेत्रों में 7000 आवासों का निर्माण।

पिछड़ी जातियों का कल्याण

- अनु.जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये ₹ 214.12 करोड़ का प्रावधान।
- इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹ 104.85 करोड़ का प्रावधान शामिल
 - ◆ 480000 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- विभिन्न छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए ₹ 23.37 करोड़ का प्रावधान।
- 80 सम्बल गाँवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ₹ 4.00 करोड़ का प्रावधान।
- अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु ₹ 1.90 करोड़ का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को मैचिंग सहायता के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान।
- पालनहार योजनान्तर्गत निराश्रित बच्चों एवं विधवा पेंशनधारियों के 2 बच्चों को नजदीकी रिश्तेदारों के द्वारा संरक्षण/देखरेख प्रदान करवाने हेतु ₹ 22.77 करोड़ का प्रावधान।
- अनुप्रति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए ₹ 2.00 करोड़ का प्रावधान।

- सहयोग योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार की पुत्रियों के विवाह पर ₹ 10000/- वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ₹ 8.50 करोड़ का प्रावधान।
- देवनारायण योजना के लिए ₹ 55.33 करोड़ का प्रावधान।

समाज कल्याण

- समाज कल्याण के लिए कुल ₹ 261.16 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए ₹ 150.00 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ 6.41 लाख व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत जनश्री बीमा योजना के लिए ₹ 20.40 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ 26.22 लाख बी.पी.एल. परिवारों को जीवन बीमा सुरक्षा।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अन्तर्गत ₹ 24.57 करोड़ का प्रावधान।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना अन्तर्गत ₹ 6.37 करोड़ का प्रावधान।
- विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा एवं कल्याण हेतु ₹ 18.01 करोड़ रुपये का प्रावधान
 - ◆ 1333 पोलियो करेक्शन शिविरों का आयोजन।
 - ◆ 1200 व्यक्तियों को प्रोस्थेटिक सहायता।
 - ◆ 3000 व्यक्तियों को विकलांग छात्रवृत्ति।
 - ◆ 300 निःशक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण हेतु सहायता।
- बाल कल्याण हेतु ₹ 7.20 करोड़ का प्रावधान।
- महिलाओं के कल्याण हेतु ₹ 1.85 करोड़ का प्रावधान।
- वृद्धावस्था गृहों की स्थापना हेतु ₹ 1.00 करोड़ का प्रावधान।

निःशक्तजन कल्याण विभाग

- निःशक्तजन कल्याण विभाग की स्थापना के लिए ₹ 10 करोड़ का प्रावधान।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास

- विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 57.11 करोड़ का प्रावधान ।
- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 79.57 करोड़ का प्रावधान ।
- जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिये “जनजाति कल्याण निधी” अन्तर्गत निर्बन्ध अनुदान के रूप में ₹ 125.00 करोड़ का प्रावधान ।

महिला एवं बाल विकास

- महिला विकास कार्यक्रमों हेतु ₹ 38.17 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ साथिनों को मानदेय का भुगतान ।
 - ◆ प्रबन्धकीय क्षमता विकास एवं आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ।
 - ◆ सामुहिक विवाहों के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु ।
 - ◆ महिला स्वयं सहायता समूहों को समय पर ऋण चुकाने पर प्रोत्साहन स्वरूप ब्याज दर में छूट हेतु सहायता ।
- पोषाहार हेतु ₹ 325.00 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ 61.11 लाख बच्चों व महिलाओं को पूरक पोषाहार द्वारा लाभान्वित करने हेतु।
 - ◆ आशा सहयोगिनियों को मानदेय भुगतान हेतु ।
 - ◆ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय भुगतान हेतु ।
 - ◆ समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत प्रशासन एवं प्रशिक्षण के लिए।
 - ◆ 380 आंगनबाडी भवनों के निर्माण के लिए ।

अल्पसंख्यक विकास

- अल्पसंख्यक विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए ₹ 725.49 लाख का प्रावधान ।

10. आर्थिक सेवाएं:

- पर्यटन विभाग के लिये ₹ 25.00 करोड़ का प्रावधान ।

- “राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना” हेतु ₹ 60.00 करोड़ का प्रावधान।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए ₹ 90.00 करोड़ का प्रावधान जिसमें नेशनल ई-गवर्नेंस योजना हेतु राशि भी शामिल।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेतु ₹ 7.50 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹ 7 करोड़ अन्नपूर्णा योजना हेतु एवं ₹ 0.50 करोड़ राशन टिकट योजना हेतु शामिल।
- नागरिक उड्यन के लिए ₹ 3.11 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य आयोजना बोर्ड के लिए ₹ 624.25 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य स्तरीय नवीन योजनाओं के लिए ₹ 300.00 करोड़ का प्रावधान।
- कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु ₹ 3.48 करोड़ का प्रावधान।

11. सामान्य सेवाएं:

- विभिन्न राज्य एवं जिला-स्तरीय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 127.06 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ जेल भवनों के लिए 10.00 करोड़ रुपये।
 - ◆ पुलिस भवनों के लिए 28.00 करोड़ रुपये।
 - ◆ जोधपुर में उच्च न्यायालय के नये भवन एवं अन्य न्यायिक भवनों के लिए ₹ 27.25 करोड़।
 - ◆ सामान्य प्रशासन विभाग के भवनों के लिए ₹ 4.07 करोड़।
 - ◆ देवस्थान के लिए ₹ 5.00 करोड़।
 - ◆ आबकारी विभाग के लिए ₹ 33.00 करोड़।
 - ◆ नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड के लिए ₹ 7.70 करोड़।
 - ◆ कोष एवं लेखा के लिए ₹ 4.00 करोड़।
- राजस्थान विनियोजन संवर्द्धन नीति-2003 के तहत अनुदान हेतु 90.00 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 83 फास्ट ट्रेक न्यायालयों के वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए ₹ 41.00 करोड़ का प्रावधान।
- न्यायिक अकादमी के संचालन व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 7.12 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य सूचना आयोग की स्थापना हेतु ₹ 2.00 करोड़ का प्रावधान।

HIGHLIGHTS

ANNUAL PLAN

2011-12

Highlights of Annual Plan 2011-12

Annual Plan Size:

₹ 28461.30 crores is proposed for the Annual Plan 2011-12 in the Budget presented in the Rajasthan Legislative Assembly. This includes gross budgetary support of ₹ 16587.10 crores and Internal & Extra Budgetary Resources (IEBR) of ₹ 11874.20 crores. The major head-wise break-up of the budgeted outlays are as under:-

(₹ in crores)

S. No.	Head of Development	Budgeted Outlay	% to Total
1.	Agriculture & Allied Services	1092.11	3.84
2.	Rural Development	2820.48	9.91
3.	Special Area Programme	103.56	0.36
4.	Irrigation & Flood Control	970.88	3.41
5.	Power	12067.00	42.40
6.	Industry & Minerals	178.50	0.63
7.	Transport	1344.33	4.72
8.	Scientific Services	30.52	0.11
9.	Social & Community Services	8437.88	29.65
10.	Economic Services	1147.77	4.03
11.	General Services	268.27	0.94
Total		28461.30	100.00

Sector-wise Highlights:-

I. Agriculture & Allied Services

- Includes IEBR of ₹ 78.90 crores.
 - ₹ 75.00 crores of Agriculture Marketing Board
 - ₹ 3.90 crore of State Warehousing Corporation
- Provision of ₹ 707.92 crores for Agriculture Department which includes funds for weather based Crop Insurance Scheme also.
- Provision of ₹ 18 crores for Integrated Scheme of Oilseed, Pulses, Oil Pam & Maize (ISOPOM) as State Share.
- Provision of ₹ 515.87 crores as ACA for Rastriya Krishi Vikas Yojana (RKVY).
- Provision of ₹ 18 crores for National Horticulture Mission and ₹ 38 crores for Micro Irrigation Scheme as State Shares.
- ₹ 29.39 crore additional subsidy for drip installation under Micro Irrigation Scheme.

- Provision of ₹ 36.22 crores to supply water from Govardhan Drain to Keoladevi National Park.
- Important physical targets:
 - Area under Food Crops – 138.70 lakh ha.
 - Production of Food Crops – 196.50 lakh tonnes
 - Area under Oilseeds – 51.90 lakh ha.
 - Production of Oilseeds – 62.44 lakh tonnes
 - Area under Sugarcane – 0.09 lakh ha.
 - Production of Sugarcane – 6.40 lakh tonnes
 - Area under Cotton – 3.84 lakh ha.
 - Production of Cotton – 8.60 lakh bales
 - Consumption of Fertilizer – 13.22 Lac Tonnes
 - Fruit Plantation – 267 ha.
 - Setting of vermin compost unit – 567 No.
 - Artificial Insemination – 25 lakhs
 - Castration – 12 lakhs
 - Fish Seed Production – 400 Million No.
 - Fish Production – 30000 Tonnes
 - Distribution of short, medium and long term loan through Cooperative Institutions – ₹ 6750 crores (level).
 - Storage Capacity – 25200 MTs

II. Rural Development

- Provision of ₹ 765.31 crores as State matching share for Centrally Sponsored Schemes which includes
 - ₹ 22.60 crores for SGSY including Rural Haat.
 - ₹ 33.00 crores for Desert Development Programme
 - ₹ 4.00 crores for Drought Prone Area Programme
 - ₹ 0.50 crores for Wasteland Development
 - ₹ 159.00 crores for Mid-day-meal
 - ₹ 75.00 crores for Indira Awas Yojana (IAY)
 - ₹ 350.00 crores for National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS)
 - ₹ 8.88 crores for DRDA Administration
 - ₹ 10.98 crores for strengthening of revenue administration
 - ₹ 49.85 crores for Settlement etc.

- ₹ 35.00 crores for Integrated Water Management Programme.
- ₹ 16.50 crores for Total Sanitation Campaign.
- Provision of ₹ 200 crores for MLA Local Area Dev. Scheme.
- Provision of ₹ 450 crores as Grants to PRIs under SFC.
- Provision of ₹ 275.40 crores as ACA for Backward Region Grant Fund.
- Provision of ₹ 24 crores for Externally Aided Project 'Mitigating Poverty in Western Rajasthan'.
- Provision of ₹ 20 crores for Gramin Jan Bhagidari vikas Yojana.
- Provision of ₹ 1041.15 crores as Untied Funds to Panchayati Raj Institutions.
- Important physical targets:
 - Construction of 69698 new houses under IAY
 - Mid-day-meal – 74.94 lakh students
 - 73679 Swarozgaries to be benefitted under SGSY
 - Plots to be allotted to 60000 persons.

III. Special Area Programme

- Provision of ₹ 91.31 crores as ACA for Border Area Development Programme.
- Provision of ₹ 7.25 crores for Mewat Area Development and ₹ 5 crores for Magra Development.

IV. Irrigation & Flood Control

- Provision of ₹ 200.00 crores for EAPs
 - ₹ 100.00 crores for Raj. Water Sector Restructuring Project.
 - ₹ 100.00 crores for Minor Irrigation Improvement Scheme.
- Provision of ₹ 277 crores for AIBP Projects.
 - ₹ 220 crores for Narbada,
 - ₹ 20 crores for Gang Canal Modernisation and
 - ₹ 37 crores for minor irrigation projects in Desert / Tribal Areas.
- Additional irrigation potential to be created – 40500 hectares.
 - 4500 ha. through IGNP
 - 30000 ha. through Narmada
 - 3000 ha. through Gang Canal

- 3000 ha. through minor irrigation schemes
- OFD works – 62700 ha.
 - 9000 ha. in Chambal Command area
 - 14700 ha. in Sidhmukh-Nohar area
 - 11500 ha. in Amarsingh Sub Branch area
 - 14000 ha. in Bisalpur area
 - 13500 ha. in Gang Canal - CAD

V. Power

- Includes IEBR of ₹ 9331 crores.
 - ₹ 4328 crores of Raj. Rajya Vidyut Utpadan Nigam
 - ₹ 2255 crores of Raj. Rajya Vidyut Prasaran Nigam
 - ₹ 1000 crores of DISCOM, Jaipur
 - ₹ 1000 crores of DISCOM, Jodhpur
 - ₹ 748 crores of DISCOM, Ajmer
- Provision of ₹ 400 crores as Transition Support for FRP
- ₹ 2334 crores as equity contribution by the State Government.
- Provision of ₹ 2 crore for Rajasthan Renewable Energy Cooperation Limited.
- Electrification of 286 villages and energisation of 46980 wells.
- Installation of Domestic Lighting System (DLS) – 6006 No.

VI. Industry and Minerals

- Includes IEBR of ₹ 125 crores of RSMM Ltd.
- Provision of ₹ 21.37 crores for Industries Department including CIPET.
- Provision of ₹ 6.50 crores for Ganganagar Sugar Mills.
- Provision of ₹ 5.08 crores for Khadi & Village Industries.
- Provision of ₹ 3.70 crores for Bureau of Investment Promotion.
- Provision of ₹ 3.67 crores for Mines & Geology Deptt.
- Provision of ₹ 1.36 crores for RUDA.
- Important physical targets:
 - Persons to be benefitted under Prime Minister Rojgar Yojana – 1088.
 - Production Level - Woolen Khadi - ₹ 7 crores

- Production Level - Cotton Khadi – ₹ 13 crores
- Production Level - Village Industries – ₹ 80 crores
- Employment – Khadi Industry – 2600 persons
- Employment – Village Industry – 10000 persons
- Rajasthan Financial Corporation
 - o Sanction of Loan – ₹ 525 crores
 - o Disbursement of Loan – ₹ 400 crores
 - o Recovery of Loan – ₹ 450 crores
- Construction of roads in mineral areas – 6.00 km.

VII. Transport

- Includes IEBR of ₹ 369.20 crores.
 - ₹ 148.20 crores of RSRTC
 - ₹ 221.00 crores of RSRDC
- Provision of ₹ 380 crores for NABARD assisted road works under RIDF
 - Construction of 300 km. religious roads and rehabilitation of 3300 km. roads.
- Provision of ₹ 176.54 crores (ACA) under Central Road Fund (CRF)
 - Strengthening, modernisation and renovation of 354 km. State Highway & Major District Roads and 500 km. of other State Highway / District Roads.
- Provision of ₹ 210 crores under State Road Fund.
- Provision of ₹ 100.00 crores for EAP.
 - Construction of 250 km. rural roads.
- Provision of ₹ 37.50 crores for Upgradation and Improvement of State Highways and District Roads under Thirteen Finance Commission.
- Purchase of 1000 new buses by RSRTC.

VIII. Scientific Services

- Provision of ₹ 6.10 crores for Science & Technology and ₹ 24.42 crores for Environment Department.
 - Includes ₹ 12.77 crores for National Lake Conservation Programme.
 - Includes ₹ 10.00 crores for National River Conservation Scheme.

IX. Social & Community Services:

Education

- Total provision of ₹ 1707.72 crores for Education Sector.
- Provision of ₹ 1130.00 crores for Elementary Education
 - Includes ₹ 743.89 crores as State Matching Share for Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).
- Provision of ₹ 418.87 crores for Secondary Education including ₹ 100.00 as State Matching Share for RMSA.
- Provision of ₹ 33.00 crores for University and other Higher Education.
- Provision of ₹ 35.33 crores for Literacy & Continuing Education.
- Provision of ₹ 22.17 crores for Arts & Culture
- Provision of ₹ 55.56 crores for Technical Education
- Provision of ₹ 11.50 crores for Sports & Youth Welfare.

Medical & Health

- Provision of ₹ 663.53 crores for Medical & Health Sector including Ayurved.
- Provision of ₹ 40 crores for Externally Aided Rajasthan Health System Development Project (RHSDP).
- Provision of ₹ 146.50 crores for National Rural Health Mission (NRHM) including ₹16.50 crores for Mukhya Mantri Jeevan Raksha Kosh Yojana and ₹ 25 crores for Dhanvantari Ambulance Service Yojana.
- Provision of ₹ 224.14 crores for Medical & Health Department.
 - Opening of 50 Primary Health Centres in Rural & Urban area
 - Setting up of 20 Community Health Centres
 - Increase of 230 beds in Community Health Centres.
- Provision of ₹ 203.59 crores for Medical Education including ₹ 500 lakhs for Raj. Health Science University.
- Provision of ₹ 31.03 crores for Ayurved.

PHED

- Provision of ₹ 1420.94 crores for Water Supply Schemes
 - ₹ 591.46 crores for Urban Water Supply Schemes
 - ₹ 828.50 crores for Rural Water Supply Schemes

- ₹ 0.98 crores for Training Institute for Engineering Subordinates.
- Above provision also includes ₹ 309.49 crores for Externally Aided Projects
 - ₹ 50 crores for Bisalpur-Jaipur Water Supply Project
 - ₹ 150 crores for reorganization of Urban Water Supply, Jodhpur
 - ₹ 2.49 crores for Aapni Yojana Phase-I.
 - ₹ 27 crores for Barmer Lift Canal Project Phase-II
 - ₹ 30 crores for Chambal-Bhilwara Drinking Water Supply Project
 - ₹ 50 crores for Nagaur Lift Canal Drinking Water Supply Project Phase-II
- Target to cover 2190 slipped back NC/PC habitations.

Housing & Urban Development

- Provision of ₹ 3512.49 crores for Housing & Urban Development.
- Provision includes IEBR of ₹ 1970.10 crores
 - ₹ 315 crores of Rajasthan Housing Board.
 - ₹ 344 crores of Jaipur Development Authority.
 - ₹ 1311.10 crores of Other Urban Local Bodies.
- Provision of ₹ 336.78 crores for Externally Aided Raj. Urban Sector Development Investment Programme
- Provision of ₹ 68.41 crores for payment of installment to HUDCO for Police Housing.
- Provision of ₹ 351.46 crores for JNNURM.
- Provision of ₹ 134.58 crores for Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP).
- Provision of ₹ 170.21 crores for Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns (UIDSSMT).
- Provision of ₹ 200.00 crores for Jaipur Metro Rail Corporation Ltd.
- Provision of ₹ 45 crores for contribution to Rajasthan Urban Development Fund.
- Provision of ₹ 144 crores as grants to ULBs under SFC.
- Provision of ₹ 70 crores for Railways Over Bridges (ROBs).
- Provision of ₹ 10 crores Sahari Jan Sabhagita Yojana.
- Provision of ₹ 6 crores as State Matching Share for Swaran Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY)

- Target to benefit 5500 persons of BPL families under urban self-employment
- Creation of 1.10 lakh mandays.
- Construction of 7000 houses in urban areas by Rajasthan Housing Board.

Welfare of Backward Classes

- Provision of ₹ 214.12 crores for welfare of SC/ST/Other Backward Classes.
- Provision includes ₹ 104.85 crores for Post-Matric Scholarship to SC/ST/OBC Students.
 - Target to benefit 480000 students
- Provision of ₹ 23.37 crores for construction of various Hostel Buildings.
- Provision of ₹ 4 crores to provide infrastructure facilities in 80 Sambal Villages.
- Provision of ₹ 1.90 crores for Protection of Civil Rights to SCs/STs.
- Provision of ₹ 1 crore as matching assistance to RSCSTFDCC.
- Provision of ₹ 22.77 crores for Palanhar Yojana for providing care to destitute children and two children of widow pensioners through close relatives.
- Provision of ₹ 2.00 crores for “Anupriti Scheme” to provide financial assistance to SC/ST students for the preparation of various exams.
- Provision of ₹ 55.33 crores for Devnarayan Yojana.
- Provision of ₹ 8.50 crores for Sahayog Scheme to provide financial assistance ₹ 10000 to BPL families for daughter marriage.

Social Welfare

- Provision of ₹ 261.16 crores for Social Welfare.
- Provision of ₹ 150 crores for Old-age Pension under NSAP.
 - To provide old-age pension to 6.41 lakh persons
- Provision of ₹ 20.40 crores for Jan Shree Bima Yojana under NSAP.
 - Life insurance coverage to 26.22 lakh BPL families

- Provision of ₹ 24.57 crores for Indira Gandhi Rastriya Widow Pension Yojana under NSAP.
- Provision of ₹ 6.37 crores for Indira Gandhi Rastriya Disable Pension Yojana under NSAP.
- Provision of ₹ 18.01 crores for education and welfare of Handicapped Persons
 - Organisation of 1333 Polio Correction Camps
 - Prosthetic Aid to 1200 persons
 - Handicapped Scholarship to 3000 persons
 - Assistance to 300 disabled persons for self-employment & training.
- Provision of ₹ 7.20 crores for Child Welfare.
- Provision of ₹ 1.85 crores for Women Welfare.
- Provision of ₹ 1.00 crores for establishment of Old Age Homes.

Disabled Department

- Provision of ₹ 10 crores for Establishment of Disabled Department.

Tribal Area Development

- Provision of ₹ 57.11 crores as Special Central Assistance (SCA).
- Provision of ₹ 79.57 crores as ACA under Article 275(1) of the Constitution.
- Provision of ₹ 125.00 crores as untied grant under the "Jangati Kalyan Nidhi" for the development of tribal areas.

Women and Children Development

- Provision of ₹ 38.17 crores for Women Development programme
 - Payment of Honorarium to Sathins
 - For imparting training in managerial capacity building and income generation activities.
 - For providing grant for Community Marriages.
 - For providing assistance to Women SHGs as incentive in rate of interest for timely repayment of loan.
- Provision of ₹ 325.00 crores for Nutrition
 - To benefit 61.11 lacs children and women through Supplementary Nutrition.
 - For payment of Honorarium to Asha Sahyoginis.

- For payment of Honorarium to anganwari workers and helpers.
- For administration and training under ICDS.
- For construction of 380 AWCs Buildings.

Minority Development

- Provision of ₹ 725.49 lakhs for various activities for the department.

X. Economic Services

- Provision of ₹ 25 crores for Tourism Department
- Provision of ₹ 60 crores for Rajasthan Rural Livelihood Project (RRLP).
- Provision of ₹ 90.00 crores for Information & Technology including funds for National e-Governance Plan (NeGP).
- Provision of ₹ 7.50 crores for Food & Civil Supply which includes ₹ 7 crores for Annapurna Yojana and ₹ 50 lakhs for Ration Ticket Scheme.
- Provision of ₹ 3.11 crores for Civil Aviation.
- Provision of ₹ 624.25 crores for State Planning Board.
- Provision of ₹ 300 crores for State Level New Schemes.
- Provision of ₹ 3.48 crores for D.O.P. Secretariat for various construction works.

XI. General Services

- Provision of ₹ 127.06 crores for construction of various State and District level buildings.
 - ₹ 10 crores for Jail Buildings,
 - ₹ 28 crores for Police Buildings,
 - ₹ 27.25 crores for New High Court Building at Jodhpur and other Judicial Buildings,
 - ₹ 4.07 crores for GAD Buildings,
 - ₹ 5.00 crores for Devsthan.
 - ₹ 33.00 crores for Excise Department.
 - ₹ 7.70 crores for Civil Defence & Home Guards.
 - ₹ 4.00 crores for Treasuries & Accounts.
- Provision of ₹ 90 crore for grant under Rajasthan Investment Promotion Policy-2003.

- Provision of ₹ 41.00 crores to meet the committed liability of 83 fast track courts.
- Provision of ₹ 7.12 crores to meet the running expenditure of Judicial Academy.
- Provision of ₹ 2.00 crores for establishment of State Information Commission.